



पंचायतीराज विभाग उ०प्र० ।
संख्या- /२५१७/ 2018-6 / 248 / 2022-23
दिनांक- ०६ जून, 2022



-:संशोधित विज्ञापन:-

इस कार्यालय के पत्र संख्या-2390 / 2018-6 / 248 / 2022-23, दिनांक-01.06.2022 द्वारा राज्य स्तर पर गठित ग्रामीण जलापूर्ति प्रकोष्ठ में स्टेट कन्सल्टेन्ट व अन्य पदों हेतु विज्ञापन का प्रकाशन किया गया था जिसमें स्टेट कन्सल्टेन्ट के पद की योग्यता बी०ई० / बी०टेक० सिविल तथा एम०बी०ए० निर्धारित किया गया था ।

शासनादेश संख्या-1109 / 33-3-2022, दिनांक-06.06.2022 द्वारा स्टेट कन्सल्टेन्ट के पद की बी०ई० / बी०टेक० (सिविल) तथा एम०बी०ए० अथवा एम०टेक० निर्धारित किया गया है। उक्त शासनादेश के क्रम में बी०ई० / बी०टेक० (सिविल) तथा एम०बी०ए० अथवा एम०टेक० योग्यता धारकों द्वारा आवेदन किया जा सकता है।

अतः विज्ञापन दिनांक-01.06.2022 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए। चयन की शेष नियम / शर्तें विज्ञापित दिनांक-01.06.2022 के अनुसार यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(अनुज कुमार झा)
निदेशक,

पंचायतीराज उ०प्र० ।

पत्रांक-6 / / 2018-6 / / 2021-22 तददिनांक ।

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज, उ०प्र० शासन की सेवा में अवलोकनार्थ प्रेषित ।

निदेशक,

पंचायतीराज उ०प्र० ।